"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 840] नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 3 नवम्बर 2025 — कार्तिक 12, शक 1947

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 3 नवम्बर 2025

अधिसूचना

क्रमांक PROJ/395/2025-O/O,DS,C&I.— छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक्स नीति 2025 के अंतर्गत आर्थिक प्रोत्साहन को क्रियान्वित करने हेतु राज्य शासन, एतद द्वारा, निम्नानुसार नियम निर्मित करता है:-

नियम

1. नाम - ये नियम "छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक्स निवेश प्रोत्साहन नियम, 2025" कहे जाएंगे।

2. प्रभावी दिनांक- ये नियम राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होंगे।

3. परिभाषाएं-

(1) जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अभिप्रेत हो, इन नियमों में –

(**क**) "नीति" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक्स नीति 2025।

(**ख**) "परियोजना'' से आशय है लॉजिस्टिक पार्क /लॉजिस्टिक हब/ मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक पार्क/ ड्राईपोर्ट /इन्लैंड कंटेनर डिपो/एयर कार्गो टर्मिनल/ गति-शक्ति टर्मिनल/ ट्रांसपोर्ट हब/ फ्रेट स्टेशन।

(**ग**) "'लॉजिस्टिक पार्क'' से आशय है देश-विदेश/राज्य की वस्तुओं और उत्पादों का उद्गम से अंतिम गंतव्य के बीच सुव्यवस्थित व संरक्षित तथा मशीनी कृत व्यवस्थापन सेवाएं उपलब्ध कराना। जिसमें सम्मिलित है- परिवहन (रेल/ वायु/ सड़क), लोडिंग, अनलोडिंग, शेड भवन, अस्थायी भण्डारण क्षेत्र, शेड युक्त वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, कंटेनर फ्रेटस्टेशन, वे-ब्रिज, ग्रेडिंग, छटाई, पैकिंग/रिपैकिंग, मटेरियल हैण्डलिंग की मशीनीकृत व्यवस्था, लिफ्टिंग, पार्किंग एरिया, टेस्टिंग, असेम्बलिंग, एयर कार्गो फैसिलिटी, प्लांट एवं मशीनरी (यांत्रिक सुविधाएँ), मेकेनाइज्ड मटेरियल हैंडलिंग, बल्क एवं ब्रेक बल्क कार्गो टर्मिनल, इन्टर मोडल ट्रांसफर इत्यादि।

(**घ**) "पैकेजिंग सेवा'' के अंतर्गत वस्तुओं के सुरक्षित, प्रभावी एवं समय बद्ध परिवहन के उद्देश्य से, वस्तुओं की तैयारी, संरक्षण तथा सुगम आवाजाही हेतु प्रक्रियाएँ, तकनीकें एवं सामग्री का उपयोग किया जाना है।

(**ङ**) "भूमि" से तात्पर्य है, परियोजना की स्थापना/विस्तार हेतु आवेदक के पास वैध आधिपत्य अथवा वैध इकरारनामा अंतर्गत भूमि।

(**च**) ''अधोसंरचना लागत'' से अभिप्रेत है व इसमें सम्मिलित है परियोजना के भीतर की आंतरिक सड़कें, ड्रेनेज निर्माण, परियोजना के भीतर/बाहर विद्युत् आपूर्ति, जल आपूर्ति एवं प्रशासकीय व अन्य बुनियादी अधोसंरचना पर किया गया व्यय। अधोसंरचना लागत में भूमि की लागत को (अधोसंरचना लागत अनुदान प्रयोजन हेतु) सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(**छ**) ''पहुंच मार्ग'' से अभिप्रेत है ऐसी सड़क जो निकटवर्ती मार्ग से परियोजना तक पहुंचने हेतु शासन के संबंधित विभागों/स्थानीय निकायों से अनुमति प्राप्त कर बनायी गयी हो बशर्ते कि शासन के किसी विभाग/उपक्रम/एजेंसी का कोई पहुंच मार्ग परियोजना तक न हो।

(**ज**) ''विद्युत आपूर्ति व्यय'' से अभिप्रेत है परियोजना में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था हेतु आवेदक द्वारा छत्तीसगढ राज्य विद्युत वितरण/पारेषण कंपनी को भुगतान की गई राशि तथा उक्त प्रस्तावित स्थल का आंतरिक विद्युती करण व बाह्य विद्युती करण, स्ट्रीट लाईट व्यवस्था एवं विद्युत उप केंद्र/ डी.जी .सेट पर किया गया व्यय।

परन्तु

(i) इस मद में भुगतान की गई राशि में सिक्यूरिटी डिपाजिट व पुराने देयकों की राशि सम्मिलित नहीं की जाएगी।

(ii) यदि केप्टिव पावर प्लांट की स्थापना परियोजना / परियोजना में स्थापित उद्यमों को विद्युत आपूर्ति हेतु की जाती है तो उस पर किए गए निवेश को विद्युत आपूर्ति के तहत मान्य नहीं किया जाएगा।

(**झ**) "आंतरिक सड़कें" से आशय है परियोजना के भीतर निर्मित सड़कें।

(**ञ**) ''जल आपूर्ति व्यय'' से अभिप्रेत है परियोजना हेतु बाहर/भीतर के स्त्रोतों से जल आपूर्ति हेतु किया गया निवेश, जिसमें ओवर हेड टैंक, पंप हाउस, पाईप लाईन एवं रेनवाटर हार्वेस्टिंग भी सम्मिलित है, (सिक्यूरिटी डिपाजिट व सबंधित विभागों के पुराने देयकों की राशि को छोड़कर) यदि शासन के प्रशासकीय विभागों से अनुमति प्राप्त कर जल आपूर्ति हेतु व्यवस्था की गयी हो।

(**ट**) "प्रशासकीय व अन्य बुनियादी अधोसंरचना" से आशय है आवेदक द्वारा परियोजना की स्थापना हेतु विकसित की गई प्रशासकीय व अन्य बुनियादी अधोसंरचना व इसमें सम्मिलित है, प्रशासकीय भवन, बैंक, एटीएम, पोस्ट ऑफिस, पुलिस थाना, पुलिस चौकी, फायर ब्रिगेड, कैंटीन, कान्फ्रेन्स हाल, ट्रेनिंग सेन्टर, श्रमिक कल्याण, विश्राम केन्द्र, क्लीनिक, कॉमन फेसलीटी सेंटर जैसे टेस्टिंग एवं डिजाइन सेंटर, एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट, रॉ-मटेरियल डिपो, कोल्ड स्टोरेज, प्रोडक्ट डिस्प्ले सेंटर, सूचना केंद्र, वे-ब्रिज पार्किंग एरिया, वृक्षारोपण, पर्यावरण के संरक्षण हेतु किये गये उपाय, सामूहिक गोदाम एवं अन्य समान प्रकृति की आवश्यक सुविधाएं। परन्तु प्रशासकीय व अन्य बुनियादी अधोसंरचना मद में कुल अधोसरंचना लागत का 20 प्रतिशत से अधिक व्यय मान्य नहीं किया जाएगा।

(2) अन्य प्रयुक्त शब्दों हेतु वही परिभाषाएं लागू होंगी जो नीति के कंडिका 2 एवं औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के परिशिष्ट-1 में उल्लेखित हैं।

4. पात्रता- (1) परियोजना की स्थापना/विस्तार हेतु पात्रता एवं शर्तें नीति के अनुसार होगी।

(2) इन नियमों के तहत कोई भी व्यक्ति, साझेदारी/कम्पनी/सीमित दायित्व साझेदारी/ प्रमोटर/ राज्य के एफपीओ/ स्वसहायता समूह आवेदन कर सकता है।

(3) परियोजना हेतु भूखंड की न्यूनतम माप नीति में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी।

(4) आवेदक का आवेदन स्वीकृत होने पर ही पात्रता होगी।

(5) परियोजना हेतु एप्रोच रोड की न्यूनतम चौड़ाई निम्नानुसार होने पर ही पात्रता होगी –

स. क्र.	मद	क्षेत्रफल	एप्रोच रोड़ की न्यूनतम चौड़ाई
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	लॉजिस्टिक पार्क	15 एकड़ से 75 एकड़ तक	12 मीटर
		75 एकड़ से अधिक	18 मीटर
2.	लॉजिस्टिक हब/ मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक पार्क/ड्राईपोर्ट/इन्लैंड कंटेनर डिपो/एयर कार्गो टर्मिनल/गति-शक्ति टर्मिनल ट्रांसपोर्ट हब/फ्रेट स्टेशन	5 एकड़ से 10 एकड़ तक	10 मीटर
		10एकड़ से 50 एकड़ तक	12 मीटर
		50एकड़ से अधिक	18 मीटर

5. प्रक्रिया-

(1) इस नियम के अन्तर्गत परियोजना की स्थापना/विस्तार हेतु आवेदन विभागीय सिंगल विंडो सिस्टम पर ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ निम्नांकित अभिलेख (यथा स्थिति जो लागू हो) संलग्न करना होगा-

(क) आवेदक की वैयक्तिक जानकारी

(ख) भूमि के स्वामित्व/आधिपत्य एवं नक्शा/भूमि की स्थिति

(ग) प्रस्तावित परियोजना का संभावित ले-आउट प्लान/ मानचित्र

(घ) प्रस्तावित परियोजना का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन

(ङ) परियोजना के स्रोतों से संबंधित जानकारी (बैंकों से ऋण/वित्तीय संस्थाओं से ऋण /स्वयं के स्त्रोत /अंश पूजी इत्यादि)

(च) निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र

(2) आवेदक द्वारा आवेदन में दी गई जानकारी/उपरोक्तानुसार दस्तावेज अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण होने की स्थिति में सभी बिंदुओं का स्पष्ट उल्लेख करते हुए, एक बार में ही उद्योग संचालनालय द्वारा आवेदक को वापस किया जाएगा। इकाई द्वारा 60 दिवस में स्पष्टीकरण का जवाब प्रस्तुत न करने पर आवेदन स्वमेव निरस्त हो जाएगा।

(3) पूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर प्रकरण उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। समिति का संगठन निम्नानुसार होगा-

(**क**) उद्योग आयुक्त/ संचालक उद्योग अथवा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि – अध्यक्ष,

(**ख**) प्रबंध संचालक,छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि, जो मुख्य महाप्रबंधक से अनिम्न स्तर हों – सदस्य,

(**ग**) संचालक, नगर एवं ग्रामीण निवेश विभाग अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि, जो संयुक्त संचालक से अनिम्न स्तर के हों-सदस्य,

(**घ**) मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि, जो कार्यपालन अभियंता से अनिम्न स्तर के हों – सदस्य,

(**ङ**) संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के मुख्य महाप्रबंधक /महाप्रबंधक – सदस्य,

(**च**) उद्योग संचालनालय के अधिकारी, जो उप संचालक से अनिम्न स्तर के हों – सदस्य सचिव ।

(4) समिति का कोरम 4 का होगा, जिस पर क्रमांक (ग) पर अंकित अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी। समिति उद्योग संघों/ अनुसंधान एवं विकास संस्थानों/ अन्य सरकारी/ निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ संगठनों के प्रतिनिधियों को समय-समय पर आवश्यकतानुसार आमंत्रित कर सकती है।

(5) समिति प्रस्तावित स्थल का भ्रमण कर सकेगी व आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञों की सेवाएं भी ले सकेगी। आवेदक से परियोजना का प्रस्तुतीकरण भी समिति के समक्ष लिया जा सकेगा।

(6) समिति द्वारा यह परीक्षण किया जाएगा कि परियोजना की स्थापना हेतु जो स्थल प्रस्तावित किया गया है, वह उक्त प्रयोजन हेतु उपयुक्त है अथवा नहीं तथा उस क्षेत्र में परियोजना की आवश्यकता है अथवा नहीं।

(7) उद्योग संचालनालय भी राज्य में किसी स्थान विशेष में निजी क्षेत्र में परियोजना की स्थापना हेतु सम्बंधित स्थान विशेष में औद्योगिक विकास की संभावनाओं को दृष्टीगत रखते हुए अभिरुचि प्रस्ताव समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर आमंत्रित कर सकेगा।

(8) जिन आवेदकों को भारत सरकार द्वारा परियोजना की स्थापना हेतु स्वीकृति दी जा चुकी है। ऐसे आवेदकों को भी इस अधिसूचना के अंतर्गत राज्य स्तरीय समिति से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी ।

(9) समिति द्वारा परियोजना की स्थापना हेतु स्थल उपयुक्त पाये जाने पर एवं अन्य शर्तों की पूर्ति होने पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की जाएगी। जिनके प्रकरण निरस्त हुए हैं उनके निरस्तीकरण की सूचना उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग द्वारा परीक्षणोपरांत दे दी जाएगी।

(10) स्वीकृति आदेश में परियोजना की स्थापना हेतु अनुमोदित निवेश, समस्त शर्तें, आवेदक के अधिकार व दायित्व, परियोजना की स्थापना की अवधि व अन्य शर्तों का उल्लेख होगा।

(11) अधोसंरचना लागत अनुदान वितरण के पूर्व आवेदक एवं राज्य शासन के मध्य एक अनुबंध का निष्पादन होगा जिसमें परियोजना की स्थापना हेतु समस्त शर्तें, आवेदक के अधिकार व दायित्व, परियोजना की स्थापना की अवधि, राज्य शासन के अधिकारव अन्य शर्तों का उल्लेख होगा। राज्य शासन की ओर से यह अनुबंध उद्योग आयुक्त/ संचालक उद्योग द्वारा किया जाएगा। अनुबंध का पंजीयन भी किया जाएगा एवं पंजीयन का व्यय आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा।

6. औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता एवं प्रक्रिया -

(1) इन नियमों के अन्तर्गत राज्य स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत परियोजना हेतु निम्नानुसार अनुदान/छूट दी जा सकेगी-

(क) अधोसंरचना लागत अनुदान-परियोजना हेतु अधोसंरचना लागत अनुदान की पात्रता एवं मात्रा नीति में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी।

(ख) स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट। छूट की प्रक्रिया वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार होगी।

(ग) भूमि के पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की प्रति पूर्ति।

(घ) भू-पुनर्निर्धारण कर (डायवर्सन शुल्क) में पूर्ण छूट। छूट की प्रक्रिया राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार होगी।

(2) लॉजिस्टिक पार्क को उद्योग का दर्जा प्रदान किया जाएगा तथा आकर्षक प्रोत्साहन दिए जाएंगे। बस्तर एवं सरगुजा संभाग में लॉजिस्टिक पार्क/हब की स्थापना पर 10% अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाएगा एवं अधिकतम सीमा भी 10% अधिक होगी।

(3) यदि आवेदक को परियोजना की स्थापना हेतु भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त है एवं भारत सरकार से स्वीकृत अनुदान यदि राज्य शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक है तो अधोसरंचना लागत अनुदान की पात्रता नहीं होगी, किन्तु यदि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान की राशि राज्य शासन के अनुदान से कम है तो अंतर की राशि अधोसंरचना लागत अनुदान राशि के रूप में दी जाएगी।

7. अधोसंरचना लागत अनुदान की प्रक्रिया-

(1) अधोसंरचना लागत अनुदान हेतु परियोजना की स्थापना का कार्यपूर्ण होने के पश्चात अथवा उत्पादन प्रमाण पत्र/संचालन प्रमाण पत्र जारी होने के 6 माह के भीतर विभागीय सिंगल विंडो सिस्टम पर आवेदन करना होगा । आवेदन के साथ विभागीय सिंगल विंडो सिस्टम पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप अनुसार निम्नांकित अभिलेख संलग्न करने होंगे-

(**क**) चार्टर्ड एकाउंटेड का निवेश प्रमाण पत्र ।

(**ख**) चार्टर्ड इंजीनियर का वेल्यूवेशन प्रमाण पत्र।

(**ग**) परियोजना की स्थापना हेतु किया गया व्यय एवं कुल अधोसंरचना लागत के पूर्णता प्रतिशत से सम्बंधित चार्टर्ड एकाउंटेड द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र व व्यय सूची ।

(**घ**) निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र।

(2) आवेदक द्वारा आवेदन में दी गई जानकारी/उपरोक्तानुसार दस्तावेज अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण होने की स्थिति में इकाई का आवेदन , सभी बिंदुओं का स्पष्ट उल्लेख करते हुए उद्योग संचालनालय द्वारा आवेदक को वापस किया जाएगा । इकाई द्वारा 60 दिवस में स्पष्टीकरण का जवाब प्रस्तुत न करने पर आवेदन स्वमेव निरस्त हो जाएगा।

(3) पूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन स्थल निरीक्षण हेतु सम्बंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक को प्रेषित किया जाएगा।

(4) स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् प्रकरण राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(5) अधोसंरचना लागत की गणना लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी दर अनुसूची (SOR) अथवा वास्तविक लागत जो न्यूनतम हो, के आधार पर की जाएगी। सम्बंधित क्षेत्र के कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग द्वारा चार्टर्ड इंजीनियर के वेल्यूवेशन प्रमाण पत्र का सत्यापन किया जाएगा ।

(6) अधोसंरचना लागत अनुदान की स्वीकृति व वितरण तीन किस्तों में किया जाएगा।

(**क**) प्रथम किस्त 40**%**, सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लेखित निवेश के अनुसार कुल परियोजना का 100 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर, आबंटन योग्य क्षेत्र का न्यूनतम 10**%** क्षेत्र आबंटित होने पर तथा सक्षम अधिकारी द्वारा अधिभोग प्रमाणपत्र (Occupancy Certificate)/ पूर्णता प्रमाणपत्र (Completion Certificate) जारी होने पर। भू-पंजीयन शुल्क व्यय प्रतिपूर्ति का वितरण प्रथम किश्त के साथ किया जाएगा।

(**ख**) द्वितीय किस्त 30**%**, आबंटन योग्य क्षेत्र का न्यूनतम 25**%** क्षेत्र आबंटित होने पर अथवा **)** उत्पादन/सेवा गतिविधि प्रमाणपत्र/**(**संचालन प्रमाण पत्र जारी होने के एक वर्ष पश्चात, जो पहले हो)।

(**ग**) तृतीय किस्त 30**%**, आबंटन योग्य क्षेत्र का न्यूनतम 50**%** क्षेत्र आबंटित होने पर अथवा **)**उत्पादन/सेवा गतिविधि प्रमाण पत्र/**(**संचालन प्रमाण पत्र जारी होने के दो वर्ष पश्चात, जो पहले हो)।

(7) लॉजिस्टिक पार्क/मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक पार्क/ ड्राईपोर्ट/ इन्लैंडकंटेनर डिपो/ एयर कार्गो टर्मिनल/ गति-शक्ति टर्मिनल हेतु बाह्य अधोसंरचना (एप्रोच सड़क, विद्युत लाइन, जल आपूर्ति हेतु पाइप) पर किये गए व्यय की प्रतिपूर्ति नीति के अनुसार होगी।उक्त कार्य पूर्ण होने पर अनुदान का वितरण 2 समान किश्तों में किया जाएगा।

(8) उद्योग संचालनालय द्वारा अधोसंरचना लागत अनुदान स्वीकृति के क्रम के आधार पर बजट में राशि की उपलब्धता होने पर वितरण किया जाएगा। बजट उपलब्धता के अभाव में अनुदान की राशि देने में विलंब होने पर विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा।

8. परियोजना की स्थापना की शर्तें-

(1) सम्बंधित परियोजना हेतु भूमि का व्यपवर्तित कराना आवयक होगा।

(2) आवेदक को परियोजना की स्थापना/संचालन हेतु यथा लागू भारत सरकार/राज्य शासन के सम्बंधित विभागों/एजेंसी द्वारा सम्मति/अनापत्ति प्राप्त करना होगा।

(3) सक्षम प्राधिकारी से परियोजना का अभिन्यासअनुमोदन करवाना।

(4) परियोजना का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्षेत्र सम्बंधित प्रयोजन हेतु उपयोग करना आवश्यक होगा। शेष क्षेत्र सहायक गतिविधियों यथा, कमर्शियल स्पेस, लेबरक्वार्टर, एटीएम, सार्वजनिक अपशिष्ट जल प्रबंधन, सिवरेज जल प्रबंधन संयंत्र हेतु उपयोग करना होगा।अधोसंरचना अनुदान की पात्रता नियम 4(3) में उल्लेखित मदों पर किए गए व्यय पर होगी।

(5) लॉजिस्टिक पार्क के प्रकरणों में जारी स्वीकृति आदेश के परिपालन में वेयर हाउस/कोल्ड स्टोरेज की स्थापना हेतु भूमि का आबंटन करना।

(6) परियोजना की स्थापना, स्वीकृति आदेश जारी होने के पश्चात समिति द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर करना होगा, यह अवधि उद्योग आयुक्त/ संचालक उद्योग द्वारा दो बार 12-12 माह के लिए बढ़ाई जा सकेगी ।

(7) आवेदक को राज्य शासन के संबंधित विभागों के नियमों का पालन करना होगा।

(8) परियोजना की मूलभूत आवश्यकताएं – आवेदक को निम्नांकित अधोसंरचना विकसित करनी होगी (यथा लागू):-

(क) नगर एवं ग्राम निवेश विभाग/सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम माप दण्ड अनुसार एप्रोच रोड।

(ख) उद्यमों की आवश्यकता के अनुरूप विद्युत आपूर्ति व्यवस्था।

(ग) उद्यमों की आवश्यकता के अनुरूप जल आपूर्ति व्यवस्था।

(घ) ड्रेनेज व्यवस्था व स्ट्रीट लाईट व्यवस्था।

(ङ) परियोजना में आंतरिक सड़कों का निर्माण।

(च) परियोजना की स्थापना हेतु आवश्यकतानुसार प्रशासकीय व अन्य बुनियादी अधोसंरचना का विकास।

9. आवेदक के अधिकार एवं दायित्व-

(1) लॉजिस्टिक पार्क में भूमि का आबंटन फ्री होल्ड/ लीज होल्ड पर किया जा सकेगा। डेव्हलपर भूमि की प्रब्याजी दरों के निर्धारण, लीज रेन्ट, संधारण शुल्क, स्ट्रीट लाईट शुल्क व अन्य शुल्कों के निर्धारण के लिए स्वतंत्र होगा।

(2) डेवलपर कंपनी/ फर्म/ संस्था निजी लॉजिस्टिक पार्क का अधिकतम 50% स्वयं को आबंटित कर सकेंगे।

(3) लॉजिस्टिक पार्क में जिन उद्यमों को भूमि आबंटित की जाएगी उनके पक्ष में निष्पादित किये जाने वाले विक्रय/ लीज अभिलेखों में राज्य शासन के संबंधित विभागों के शर्तों के परिपालन की स्वीकृति का उल्लेख होगा।

(4) लॉजिस्टिक पार्क में भू-शेड आबंटन/ भू-शेड हस्तांतरण/ भू-शेड निरस्तीकरण हेतु राज्य शासन के किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

(5) लॉजिस्टिक पार्क के सुव्यवस्थित संचालन हेतु लॉजिस्टिक पार्क में स्थापित उद्यमों के संगठन को अथवा अन्य किसी तृतीय पक्ष को उद्योग आयुक्त/ संचालक उद्योग की पूर्वानुमति के पश्चात, दे सकेंगे।

(6) इन नियमों के अंतर्गत लॉजिस्टिक पार्क के प्रकरणों पर औद्योगिक विकास नीति 2024-30 की कंडिका (12.29) में उल्लेखित शर्त लागू नहीं होगी।

(7) लॉजिस्टिक पार्क में स्थापित होने वाले उद्यमों को प्रचलित औद्योगिक नीति एवं औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के तहत् जारी अधिसूचनाओं के अंतर्गत स्वामित्व परिवर्तन/ स्थान परिवर्तन आदि की अनुमति उद्योग आयुक्त/ संचालक से प्राप्त करनी होगी।

(8) परियोजना की स्थापना से संबंधित स्वीकृति आदेश व इस संबंध में निष्पादित अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन करना होगा।

(9) परियोजना के निर्माण की अवधि में छः माही आधार पर उद्योग आयुक्त / संचालक उद्योग को निर्माण की प्रगति से आवगत कराना होगा व उक्त की स्थापना के पश्चात 5 वर्षों की अवधि तक स्थापना से संबंधित स्थिति का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा ।

(10) अधोसंरचना लागत में निहित मदों का विक्रय अंतिम अनुदान स्वीकृति के 5 वर्षों तक उद्योग आयुक्त/ संचालक उद्योग की पूर्वानुमति के बिना नहीं कर सकेगा ।

(11) लॉजिस्टिक पार्क/ लॉजिस्टिक हब/ मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक पार्क/ ड्राईपोर्ट/ इन्लैंड कंटेनर डिपो/ एयर कार्गो टर्मिनल/ गति-शक्ति टर्मिनल/ ट्रांसपोर्ट हब/ फ्रेटस्टेशन का संधारण आवेदक को या तो स्वयं अथवा किसी अन्य तृतीय पक्ष के माध्यम से अनिवार्यतः करना होगा।

(12) आवेदक/उद्यम द्वारा परियोजना के निर्माण और प्रगति के विषय में निरीक्षण हेतु दस्तावेजों और परिसर में इस हेतु अधिकृत शासकीय व्यक्तियों की पहुँच सुनिश्चित की जाएगी।

10. वेयर हाउस तथा कोल्ड स्टोरेज हेतु निवेश प्रोत्साहन-

(1) औद्योगिक विकास नीति 2024-30 की कालावधि में स्थापित होने वाले वेयर हाउस तथा कोल्ड स्टोरेज की स्थापना/ विस्तार/ शवलीकरण पर नीति के अनुसार अनुदान/ छूट की पात्रता होगी।

(2) वेयरहाउस तथा कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने वाले उद्यमों हेतु पात्रता, शर्ते एवं अनुदान की मात्रा नीति में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी।

(3) सामान्य अनुदेश-

(**क**) राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/अनुदेशों का पालन अनिवार्य होगा।

(**ख**) इस नीति के अंतर्गत दिये जा रहे अनुदान, छूट एवं रियायतों के संबंध में अन्य सभी सामान्य प्रशासनिक प्रावधान यथा आवेदन पत्र के प्रारूप, आवेदन के निराकरण की प्रक्रिया, आवेदन के निराकरण संबंधी क्षेत्राधिकार तथा अन्य सामान्य नियम व शर्ते औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में घोषित अनुदान, छूट एवं रियायतों के लिए जारी की गई विभिन्न अधिसूचनाओं के अनुरूप होगी। किसी

बिन्दु विशेष पर यथा आवश्यकता संचालक, उद्योग संचालनालय द्वारा मार्गदर्शन/ दिशा-निर्देश जारी किया जा सकेगा।

11. पैकेजिंग सेवा हेतु निवेश प्रोत्साहन-

(1) औद्योगिक विकास नीति 2024-30 की कालावधि में स्थापित होने वाले पैकेजिंग सेवा प्रदान करने वाले उद्यमों की स्थापना/विस्तार/शवलीकरण पर अनुदान/छूट की पात्रता होगी।

(2) राज्य से निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु निर्यात से संबंधित उत्पादों के पैकेजिंग केन्द्र को नीति में उल्लेखित कोल्ड स्टोरेज हेतु प्रावधानित अनुदान/ छूट/ रियायत प्रदान किया जाएगा।

(3) इस हेतु पैकेजिंग केन्द्र को निर्यात से संबंधित माल के लिए न्यूनतम 70 प्रतिशत पैकेजिंग किया जाना अनिवार्य होगा।

(4) आवेदन के निराकरण की प्रक्रिया, आवेदन के निराकरण संबंधी क्षेत्रा धिकार तथा अन्य सामान्य नियम व शर्ते कोल्ड स्टोरेज हेतु प्रावधानित नियम व शर्तों के अनुसार होंगी।

12. फ्रेट / कूरियर सेवा हेतु निवेश प्रोत्साहन-

(1) पात्रता एवं अनुदान की मात्रा

(क) परिवहन वाहन अनुदान तथा वाहन पंजीयन शुल्क एवं नेशनल परमिट शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान की पात्रता एवं मात्रा नीति में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी।

(ख) रेफ्रिजरेटेड वाहन के प्रकरण में वाहन की अधिकतम सीमा 2 वाहन प्रति कोल्ड स्टोरेज एवं नॉन-रेफ्रिजरे टेड वाहनों के प्रकरण में अधिकतम मान्य निवेश लॉजिस्टिक हब में किए गए निवेश का अधिकतम 30% होगा।

(ग) वाहनों का क्रय एवं पंजीयन छत्तीसगढ़ में किया जाना अनिवार्य होगा।

(2) प्रक्रिया

(**क**) पात्र उद्यमों को अनुदान हेतु विभागीय सिंगल विंडो सिस्टम पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ निम्नांकित अभिलेख संलग्न करना होगा-

(i) आवेदक की वैयक्तिक जानकारी

(ii) परियोजना के स्रोतों से संबंधित जानकारी **(** बैंकों से ऋण/वित्तीय संस्थाओं से ऋण/ स्वयं के स्त्रोत/ अंशपूजी इत्यादि **)**

(iii) शपथ पत्र

(iv) वाहन से संबंधित दस्तावेज (यथा स्थिति लागू)

a. वाहन खरीदी देयक की प्रति

b. वाहन की आर.सी. (पंजीयन प्रमाण पत्र)

c. वाहन के पंजीयन हेतु भुगतान की प्रति

d. वाहन का बीमा प्रमाणपत्र

e. फिटनेस सर्टिफिकेट

f. रोड टैक्स भुगतान की प्रति

g. परमिट की प्रति वाहन के फोटोग्राफ्स

(**ख**) आवेदन /संलग्न दस्तावेजों में त्रुटि/कमी होने पर आवेदन प्राप्ति से 15 कार्य दिवस के भीतर इकाई को कमीपूर्ति हेतु वापस किया जायेगा। कमीपूर्ति हेतु वापस किये गये दिनांक से 30 कार्य दिवस तक कमीपूर्ति कर पुनः प्रस्तुत न करने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

(**ग**) सूक्ष्म तथा लघु सेवा उद्यम के प्रकरणों में मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा परीक्षण उपरांत नियमानुसार होने पर अनुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा तथा नियमानुसार न होने पर निरस्तीकरण आदेश जारी किया जाएगा।

(**घ**) मध्यम तथा वृहद सेवा उद्यम के प्रकरणों में उद्योग संचालनालय, द्वारा ऑनलाईन आवेदन का परीक्षण एवं अभिमत हेतु संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रेषित किया जाएगा। मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा अभिमत के साथ प्रकरण उद्योग संचालनालय को प्रेषित किया जाएगा। नियमानुसार होने पर अनुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा तथा नियमानुसार न होने पर निरस्तीकरण आदेश जारी किया जाएगा।

(**ङ**) स्वीकृति आदेश जारी होने के पश्चात् उद्योग संचालनालय द्वारा इस अनुदान मदके बजट का आबंटन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों से प्राप्त मांग के आधार पर बजट उपलब्ध होने पर किया जाएगा ।

(**च**) बजट आंबटन उपलब्ध होने पर ही जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा उद्यम को स्वीकृत अनुदान की राशि वितरित की जाएगी। अनुदान का वितरण उद्यम को अनुदान स्वीकृति के दिनांक के क्रम में किया जाएगा।अनुदान की राशि नकद में नहीं दी जाएगी ।

(**छ**) बजट आबंटन उपलब्ध न होने के कारण अनुदान देने में विलंब होने पर इसका कोई दायित्व विभाग का नहीं होगा।

13. अपील-

(1) अधोसंरचना लागत अनुदान के प्रकरण में आवेदक/ इकाई द्वारा राज्य स्तरीय समिति अथवा उद्योग आयुक्त/ संचालक उद्योग के किसी आदेश के विरूद्ध भार-साधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को, आदेश सूचित किये जाने के दिनांक से 45 दिवसों के भीतर अपील की जा सकेगी।

(2) अन्य प्रकरण में आवेदक/ इकाई द्वारा मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक के किसी आदेश के विरुध्द उद्योग आयुक्त/ संचालक उद्योग को, आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से 45 दिवसों के भीतर, अपील की जा सकेगी। उद्योग आयुक्त/ संचालक उद्योग के किसी आदेश के विरूद्ध भार-साधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को, आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से 45 दिवसों के भीतर अपील की जा सकेगी।

(3) अपील शुल्क सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के प्रकरण में रु 2000 एवं मध्यम/ वृहद उद्यम के प्रकरण में रु 5000 भुगतान करने पर ही अपील ग्राह्य होगी। परन्तु अनुसूचित जाति/ जनजाति, नि:शक्त, नक्सलवाद से प्रभावित परिवार/व्यक्ति, आत्मसमर्पित नक्सली से सम्बंधित प्रकरणों में अपील शुल्क उपरोक्त वर्णित शुल्क का 50 प्रतिशत होगा।

(4) भार-साधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग/ उद्योग आयुक्त / संचालक उद्योग को प्रकरण के गुण-दोष के आधार पर विचार/ व्याख्या कर निर्णय लेने का अधिकार होगा। तथ्यों के आधार पर तथा प्रभावित पक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करते हुए अपील प्रकरण का निराकरण किया जाएगा।

14. छूट/अनुदान की वसूली-

सक्षम प्राधिकारी के आदेश से, छूट/अनुदान की राशि, 12.5 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज सहित, निम्नलिखित परिस्थितियों में भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूली की जा सकेगी अथवा अन्य अनुदान में समायोजित की जा सकेगी-

(1) आवेदक/ इकाई के प़क्ष में अनुदान की स्वीकृत राशि भुगतान हो जाने के पश्चात यह पाया जाता है कि आवेदक/ इकाई द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये हैं / तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है या सही जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है व इस प्रकार गलत तरीके से अनुदान स्वीकृत हुआ है/ अनुदान प्राप्त किया गया है।

(2) आवेदक/ इकाई द्वारा राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात यदि बाद में रोजगार से वंचित किया जाता है व इस कारण अकुशल, कुशल व प्रबंधकीय/प्रशासकीय वर्ग में दिये जाने वाले रोजगार का नीति में उल्लेखित प्रतिशत (न्यूनतम सीमा) से कम हो जाता है।

(3) परियोजना की स्थापना से संबंधित प्रगति/सुविधाओं को दर्शाने वाली स्थिति विवरण उद्योग संचालनालय को परियोजना की स्थापना से 5 वर्ष की अवधि तक उपलब्ध न कराई जाए।

(4) आवेदक/इकाई को पात्रता से अधिक अनुदान की प्राप्ति हो गई हो।

(5) आवेदक इकाई द्वारा परियोजना की स्थापना का कार्य प्रारम्भ करने के पश्चात बीच अवधि में छोड़ दिया जाता है/ नहीं किया जाता है।

15. स्व-प्रेरणा से निर्णय -

राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग/ भार-साधक सचिव/ राज्य स्तरीय समिति/ आयुक्त/संचालक उद्योग किसी भी अभिलेख को बुला सकेगें तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेंगे जैसा कि वे नियमानुसार उचित समझें परन्तु अनुदान को निरस्त

करने, या उसमें परिवर्तन के पूर्व, प्रभावित पक्ष को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर दिया जाएगा। स्वयं के निर्णय/आदेश की समीक्षा भी राज्य शासन, भार-साधक सचिव,आयुक्त /संचालक उद्योग कर सकेंगे।

16. क्रियान्वयन-

(1) इन नियमों के अंतर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने, आवेदन पत्र, निरीक्षण/ परीक्षण प्रतिवेदन के प्रारूप में संशोधन हेतु उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग सक्षम होंगे एवं क्रियान्वयन से सम्बंधित किसी मुद्दे पर जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्रों द्वारा मार्ग दर्शन मांगे जाने पर उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा।

(2) इन नियमों की व्याख्या, प्रतिपूर्ति की पात्रता या अन्य विवाद की दशा में राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

(3) इस नियम के अंतर्गत आवेदन पत्र, निरीक्षण प्रतिवेदन एवं प्रमाण पत्र के प्रारूप निर्धारित करने हेतु उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग सक्षम होंगे।

(4) इन नियमों का क्रियान्वयन उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जाएगा।

17. विविध-

(1) इन नियमों के अलग-अलग भाषाओं में संस्करण जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त/ संचालक उद्योग सक्षम होंगे। इन नियमों के तहत जारी हिंदी संस्करण मुख्य संस्करण होगी, जो अलग-अलग भाषाओं में जारी संस्करणों के बीच विसंगति होने पर प्रभावी रहेगा।

(2) इन नियमों के अर्न्तगत कोई वाद होने पर छत्तीसगढ़ राज्य के न्यायालयों में ही वाद दायर किया जा सकेगा।

(3) राज्य शासन द्वारा नीति एवं औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन किए जाने की स्थिति में उक्त संशोधन इस नियम में यथास्थिति लागू होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.